न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 70/2020 जिला सीकर ।

अशोक कुमार दोदराजका पुत्र श्री रामजीवण दोदराजका जाति महाजन निवासी सूण्डाराम पेट्रोल पम्प के पास, बजाज रोड, सीकर तहसील सीकर जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट्

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 बिरजू सिंह पौत्र स्व0 दीनदयाल सिंह निवासी राधाकिशनपुरा तहसील सीकर जिला सीकर राज0।
2. सुनीता कंवर पुत्री स्व0 बिरजू सिंह पौत्री दीनदयाल सिंह, पत्नी श्री रमेश जाति रावणा राजपूत निवासनी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर हाल आबाद कुल्हरियो की ढाणी तन मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर राज0।
3. सुहानी कंवर पुत्री स्व0 श्री बिरजू सिंह पौत्री स्व0 श्री दीनदयाल सिंह पत्नी श्री करण सिंह जाति रावणा राजपूत हाल आबाद हाडा चौक, शेखपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राज0।
4. ओमकंवर पत्नी स्व0 श्री बिरजू सिंह।
5. ओम प्रकाश पुत्र दीनदयाल सिंह
6. मधु कंवर पुत्री दीनदयाल सिंह
7. कमला पत्नी दीनदयाल सिंह
   समस्त जाति रावणा राजपूत निवासीगण राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर राज0।
8. रेखा कंवर पुत्री बिरजू सिंह पौत्री स्व0 दीनदयाल सिंह पत्नी रिछपाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुल्हरियो की ढाणी तन मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर राज.।
9. तहसीलदार सीकर तहसील सीकर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 07.01.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 13/2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री हेमन्त दीक्षित।
2. वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 02, 03 श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक–21.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 07.01.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा शीर्षक अपील सुनीता कंवर बनाम बलबीर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2020 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकण संख्या 1001 दिनांक 20.10.2008 ग्राम राधाकिशनपुरा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार सीकर जिला सीकर को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 07.01.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 198/1060 एवं 205 की खातेदारी दीनदयाल सिंह पुत्र मन्नालाल जाति दरोगा (रावणा राजपूत) के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात ओमप्रकाश पुत्र दीनदयाल सिंह, मधुकंवर पुत्री दीनदयाल सिंह, कमला पत्नी दीनदयाल सिंह व उसके पुत्र बिरजू सिंह की मृत्यु दीनदयाल के समय ही होने के कारण मृतक दीनदयाल सिंह के मृतक पुत्र बिरजू सिंह की पत्नी ओमकंवर, बलबीर सिंह पुत्र बिरजू सिंह के नाम ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा की बैठक में दिनांक 20.10.2008 को वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1001 तस्दीक कर दिया गया था। बीरबल सिंह पुत्र स्व. श्री बिरजू सिंह (रेस्पोडेंट संख्या 1) ने उक्त भूमि में से स्वयं के 1/8 हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पवन सैनी को कर दिया था तथा पवन सैनी ने पुनः उक्त भूमि को बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल सैनी व सीताराम पुत्र देवीदत्त सोनी को कर दिया था। तत्पश्चात उपरोक्त केतागण दिनेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल सैनी व सीताराम पुत्र देवीदत्त सोनी ने उनके हिस्से की 1/8 भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2012 को बेचान कर भूमि का कब्जा काश्त एवं स्वत्व (टाईटल) का हस्तानान्तकरण अपीलांट् के पक्ष में कर दिया था तब से ही अपीलांट् विवादित भूमि का रजि0 विक्रय पत्र से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज बतौर राजस्व रिकार्ड अपीलांट दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील लगभग 10 वर्षो के पश्चात मियाद बाहर बिना सदभावी केतागणो को पक्षकार बनाये ही तथा धारा 96 सीपीसी बाबत प्रथम अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पेश की गई थी किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सर्वप्रथम धारा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को बिना निर्णित किये ही गुणावगुण पर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड करने से पूर्व विवादित भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के द्वारा केतागण खातेदार काश्तकारो को पक्षकार बनाकर उन्हे उनके हिस्से की भूमि के बारे में सुना जाकर ही प्रकरण पुनः तहसीलदार को रिमाण्ड करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संबधी प्रक्रिया के विपरीत जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 से 133 का अध्ययन किये बिना ही तथा राजस्थान लैण्ड रिकार्ड के नियम 121(4) का समुचित अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 07.01.2020 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02, 03 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूवक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट् विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलान्ट् को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट् को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक दीनदयाल सिंह पुत्र मन्नालाल की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 20.10.2008 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का है। रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष अपील पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

198/1060 रकबा 0.46 है0 तथा खसरा नम्बर 205 रकबा 2.71 है0 तन ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित भूमि जिसकी खातेदारी दीनदयाल सिंह पुत्र मन्नालाल जाति दरोगा (रावणा राजपूत) के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी रही है। उक्त खसरा नम्बरान के खातेदार दीनदयाल सिंह पुत्र मन्नालाल जाति दरोगा (रावणा राजपूत) की मृत्यु दिनांक 02.10.2008 को हो गया था तथा दीनदयाल के स्वर्गवास से पूर्व अपीलांटस के पिता बिरजू सिंह का निधन हो गया था। अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03) के दादा दीनदयाल का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके उतराधिकार का नामान्तकरण 1001 पटवारी हल्का द्वारा गलत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 20.10.2008 को अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03) एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 08) को बिना किसी कारण के छोडकर रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं 04) के पक्ष में 1/4 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। अतः नामान्तकरण संख्या 1001 दिनांक 20.10.2008 वाकै ग्राम राधाकिशनपुरा को मृतक खातेदारा दीनदयाल के मृतपुत्र बिरजू सिंह के 1/4 हिस्सा की हद तक अपास्त करके उक्त 1/4 हिस्सा का नामान्तकरण अनीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1,2,7 के नाम संयुक्त यप से दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश फरमाने के आदेश किये जावे। जिस पर अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 07.01.2020 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1001 दिनांक 20.10.2008 को खारीज कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया गया।

8. हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2020 में नामान्तकरण संख्या 1001 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। मात्र अपीलार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03) द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्रो को निस्तारित किये बगैर तथा अपील को अन्दर मियाद घोषित किये बिना तथा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रविष्टि होती है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण के पश्चात भी अन्य परिवर्तन प्रविष्टियो में हो चुके है। मृतक खातेदार दीनदयाल की विरासत का नामान्तकरण सख्या 1001 उनकी मृत्यु के पश्चात ओमप्रकाश पुत्र दीनदयाल सिंह, मधुकंवर पुत्री दीनदयाल सिंह, कमला पत्नी दीनदयाल सिंह व मृतक दीनदयाल सिंह के मृतक पुत्र बिरजू सिंह की पत्नी ओमकंवर, बलबीर सिंह पुत्र बिरजू सिंह के नाम ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा की बैठक में दिनांक 20.10.2008 को वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तस्दीक कर दिया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198/1060 रकबा 0.46 है0 तथा खसरा नम्बर 205 रकबा 2.71 है0 में से हिस्सा 1/8 पवन कुमार पुत्र चौथमल सैनी को जरिये विकय पत्र किये जाने पर उनके नाम नामान्तकरण संख्या 1009 दिनांक 20.11.2008 स्वीकृत हुआ। पवन कुमार पुत्र चौथमल द्वारा अपनी कय शुदा उक्त भूमि हिस्सा 1/8 दिनेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल सैनी एवं सीताराम पुत्र देवीदत सोनी को जरिये विकय पत्र बेचान किये जाने पर उक्त भूमि हिस्सा 1/8 का नामान्तकरण संख्या 1238 दिनांक 21.3.2011 उनके नाम स्वीकृत हुआ। दिनेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल सैनी एवं सीताराम पुत्र देवीदत सोनी द्वारा उक्त भूमि हिस्सा 1/8 दिनांक 17.02.2012 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र अपीलांट् के पक्ष के तस्दीक किये जाने पर अपीलांट् के पक्ष में विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज की गई थी। अपीलांट् विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2020 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपीलांट् की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

21/9/2021

(बाबूलाल गोयल)

राजस्व अपील अधिकारी

जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/2021

(बाबूलाल गोयल)

राजस्व अपील अधिकारी

जयपुर

Scanned by CamScanner